809(14)
06/07/09

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक जुलाई,2008

विषयः– राज्य के बिहार विधान मंडल के सदस्य पूर्व सदस्य की चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2008 में संशोधन के संबंध में।

सं० सं० 14/विविध–06/2006(खण्ड–II)विविध स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 228(14) द्वारा निर्गत विधान मंडल के सदस्य /पूर्व सदस्य चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2008 के संबंध में माननीय सभापती बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में विचार हुआ कि उक्त नियमावली के नियम–8 को विलोपित कर विधान मडल के सदस्य /पूर्व सदस्य को बहिर्वासी चिकित्सा में भी वही सुविधा उपलब्ध करायी जाय जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियो को उपलब्ध है।

अतः सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2008 जो स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना सं० 228(14) दिनांक 25.02.2008 में संसोधन करते हुये नियम–8 को विलोपित किया जाता है।परिणामस्वरूप विधान मंडल के सदस्य /पूर्व सदस्य को देय बहिर्वासी चिकित्सा की सुविधा अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारीयों के समरूप होगी।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राज्य के असाधारण गजट के अगले अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञाप सं० 809(14) दिनांक 6.7.09

प्रतिलिपिः– अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2. इसकी 3000(तीन हजार) प्रतियां स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रधान सचिव

ज्ञाप सं० 809(14) दिनांक 6/7/09

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

6/7

ज्ञाप सं० 809(14)　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 6.7.05

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव बिहार, पटना/सचिव विधि विभाग बिहार पटना /प्रधान सचिव वित्त विभाग पटना/सचिव बिहार विधान सभा पटना/ सचिव बिहार विधान परिषद पटना/ प्रधान सचिव मंत्री मंडल सचिवालय बिहार,पटना/सचिव संसदीय कार्य विभाग बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय बिहार, पटना/विशेष सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री के आप्त सचिव बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव बिहार, पटना/ आप्त सचिव , मंत्री स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

प्रतिलिपिः– 550(पाच सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियो के साथ सचिव बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों के बीच वितरीत करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः– 250(दो सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियो के साथ बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों के बीच वितरीत करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः– सभी विभाग को सूचनार्थ प्रषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अधीक्षक सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल /प्रचार्य सभी मेडिकल कालेज/सभी सिविल सर्जन/अधीक्क, सभी सदर अस्पताल /स्टेट लेप्रोसी ऑफीसर, स्वास्थ्य भवन पटना/निदेश टी० बी० सी० पटना, दरभंगा/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवायें मुख्य मलेरीया पदाधिकारी बिहार, पटना /सहायक निदेशक फाइलेरिया को सुचनार्थ।

प्रधान सचिव

सं0 सं0: 14 / विविध–38 / 2006
बिहार सरकार
स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग

88(14)

प्रेषक,
दीपक कुमार
सरकार के सचिव

सेवा में,
महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:– वित्त विभाग

पटना, दिनांक 6/2/07

विषय:– अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा उपचार नियमावली 1954) के नियम–14 के संबंध में शक्ति का प्रत्यायोजन।

महाशय,

स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 775(24) दिनांक 23.03.2000 एवं संकल्प स0 1070(14) दिनांक 20.05.2000 में कहना है कि उपरोक्त पत्र / परिपत्र के पश्चात् भी निम्न पृच्छायें प्राप्त हो रही है :–

(i) राज्य से बाहर चिकित्सा की स्वीकृति एवं प्रतिपूर्ति की स्वीकृति देने में नियंत्री पदाधिकारी किसे माना जायेगा।

(ii) निजी अस्पतालों में करायी गयी चिकित्सा (सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पतालों को छोड़कर) की प्रतिपूर्ति विचारणीय होगी अथवा नहीं यदि होगी तो उसका आधार क्या होगा।

2. उपर्युक्त पृच्छाओं के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि:–

(i) राज्य से बाहर चिकित्सा की स्वीकृति एवं प्रतिपूर्ति की स्वीकृति देने के मामले में नियंत्री पदाधिकारी वही माने जायेंगे जो यात्रा भत्ता विपत्रों के प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत है।

(ii) राज्य से बाहर प्राधिकृत चिकित्सक (मेडिकल कालेजों के प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष, इं0 गां0आ0चि0सं0 पटना में उसी स्तर के चिकित्सक या इं0 गां0आ0वि0सं0 के निदेशक) की अनुशंसा के आधार पर राज्य बाहर चिकित्सा कराने की स्वीकृति, अथवा करायी गयी चिकित्सा की स्वीकृति तथा आपातकालीन परिस्थिति में विशेष गंभीर रोग यथा कैंसर, हृदय, एवं न्यूरो सर्जरी के मामले में राज्य के भीतर या बाहर पर मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में करायी गयी चिकित्सा की घटनोत्तर स्वीकृति, अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा उपचार) नियमावली 1954 के नियम–13 के तहत विशेष परिस्थिति में [illegible] द्वारा दी जायेगी।

(iii) (निजी मान्यता प्राप्त) अस्पतालों में कराई गयी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सी०जी०एच०एस० दर पर की जायगी।

3. यह तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। दिनांक 1.4.2006 से प्रभावी समझा जाय।

(स्वास्थ्य विभाग के पत्र संख्या-203(14) दिनांक 9.3.2007 के आलोक में)

विश्वासभाजन

(दीपक कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञाप सं० 88(14) / पटना, दिनांक 6/2/07

प्रतिलिपि:--अधीक्षक सचिवालय, मुद्रणालय एवं प्रेस गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:--बिहार सरकार के सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:--सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:--सभी अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल / सभी अ०श०चि० एवं मु० चि०पदा० / सभी अधीक्षक सदर अस्पताल / सभी अनुमंडलीय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव